महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2016-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष-6 | अंक-22 | मुंबई, 16 से 31 दिसम्बर 2018 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

कर्ज माफी नहीं, आय बढ़ाने के उपायों से होगा किसानों का भला

सुरेश शर्मा

मुंबई। चुनाव जीतने के लिए किसानों की कर्ज माफी का वादा करना राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा हथियार बन गया है. राज्यों में हुए हालिया चुनावों में सत्ता में आई नई सरकारें कृषि ऋण माफी की घोषणा की तैयारी में हैं। हाल में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी साफ कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इस तरह के वादे करने से बचना चाहिए। राजन ने कहा कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है।

राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अपना खोया जनाधार पाने के लिए केन्द्र सरकार देशभर के किसानों का कर्ज माफ करने की योजना बना रही है।

कृषि ऋण माफी जैसे लोक-लुभावन वादों के जरिये राजनीतिक दल सत्ता पाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। हम आपको कृषि ऋण माफी की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि यह किसानों का संकट दूर करने में बिल्कुल कारगर साबित नहीं हुआ है, बल्कि इससे मुश्किलें और बढ़ी हैं।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.3 फीसदी रखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल यह स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र ऐसी किसी भी योजना का हिस्सा नहीं होगा और राज्यों को अपने संसाधनों से इन योजनाओं की लागत चुकानी पड़ेगी।

2014 के बाद से सात राज्यों ने लगभग 1,82,802 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज माफ किया है। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का मानना है कि 2019 में होने वाले आम चुनावों तक कुल कृषि लोन माफ करने का आंकड़ा 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, क्योंकि अन्य राज्य भी वोट पाने के लिए इस तरह की घोषणाएं करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है। इसी तरह से कांग्रेस ने पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के किसानों का कर्ज भी माफ करने का वादा किया है। राजस्थान में ऐसी राहत देने की बात चल रही है।

पटरी से उतर सकती है अर्थव्यस्था

विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए कर्ज माफ करना एक फौरी समाधान है। आरबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा था कि कर्ज माफी से राजकोषीय घाटा पटरी से उतर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त पर एक रिपोर्ट में कहा 'यदि कर्ज माफी जैसी योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू नहीं किया गया तो महंगाई बढ़ने के साथ वित्तीय घाटा बढ़ सकता है।'

कमलनाथ ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज किया माफ

भोपाल (विसं)। सीएम की कुर्सी संभालने के कुछ ही समय बाद ही कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चुनाव के दौरान सभा में राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि मप्र में कांग्रेस का सीएम बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। किसानों का राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया 2 लाख रुपए तक का अल्पकालीन फसल ऋण माफ हो गया है। इसके साथ ही कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार कर दिया है। मप्र में चार गारमेंट पार्क बनाने को भी दी मंजूरी। कृषि और सहकारिता विभाग ने पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मॉडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। कांग्रेस के वचन पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी ही है। राहुल गांधी इसे लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस रणनीति के तहत कांग्रेस शासित राज्यों में कर्ज माफी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। कांग्रेस को बहुमत मिलते ही कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। अधिकारियों के दल को पंजाब मॉडल का अध्ययन करने भी भेजा है।

बघेल ने किया 16.65 लाख किसानों के 6100 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का एलान

रायपुर (विसं)। शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। वह राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव ने मंत्री पद की शपथ ली है। बारिश की वजह से कार्यक्रम इनडोर स्टेडियम में करना पड़ा। कैबिनेट बैठक में सरकार ने 16.65 लाख किसानों का 6100 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला ले लिया। इसके अलावा झीरम कांड की एसआईटी से जांच कराने का निर्णय नई सरकार ने लिया है।

भारत को 5,000 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत नेतृत्व जरूरत : फडणवीस

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए फैसला लेने में सक्षम एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। फडणवीस ने भारत आर्थिक सम्मलेन में कहा कि नीति के मोर्चे पर लाचार नेतृत्व मजबूत आर्थिक वृद्धि हासिल नहीं कर सकता है, चाहे उसके पास कितनी भी युवा आबादी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हैं और हमने पिछले चार सालों में रणनीतिक और सांस्कृतिक सुधारों पर काम किया है। मेरा मानना है कि हम 5,000 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हैं। भारत में युवा आबादी, लोकतंत्र और मांग के रूप में कई अवसर मौजूद हैं और लक्ष्य हासिल करने के लिए चरणबद्ध प्रयास करने का यह सही समय है।

कृषि परियोजनाओं के लिए विश्वबैंक ने महाराष्ट्र को दिए 1,500 करोड़ रुपये

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र में विश्वबैंक से वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए बुधवार को लगभग 50 कंपनियों ने 2,000 करोड़ रुपये साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन परियोजनाओं का लक्ष्य कृषि क्षेत्र का रूपांतरण करना है जिससे किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना में किये जाने वाले 2,000 करोड़ रुपये के निवेश में, विश्व बैंक 1,500 करोड़ रुपये का योगदान दे रहा है, जबकि राज्य की ओर से 430 करोड़ रुपये का वित्त पोषण हो रहा है और शेष 70 करोड़ रुपये 'विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन' के माध्यम से लिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य कृषि मूल्य श्रृंखला में सुधार करना और किसान के मूल्य प्राप्ति की स्थिति में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि 49 कंपनियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन ने 22 निगमित कंपनियों और 'स्टार्ट-अप' के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि अंतिम खरीदारों के साथ सीधा समझौता सुनिश्चित करके किसानों के लिए कृषि उत्पादकता और उच्च मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। जिन बड़े नामों ने इस साझेदारी में भागीदारी की है उनमें से कुछ बड़े नाम टाटा समूह, वॉलमार्ट इंडिया, अमेजन, आईटीसी, महिंद्रा एग्रो और पतंजलि हैं। फड़णवीस ने कहा कि यह परियोजना अगले तीन वर्षों में 10,000 गांवों तक

पहुंच जाएगी जो तीन लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। विश्वबैंक के भारत में निदेशक जुनाद अहमद ने कहा कि महाराष्ट्र का उत्पादन-आधारित खेती से बाजार आधारित खेती की ओर जाना सराहनीय कदम है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है और शहरीकरण बढ़ता है, तो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए और कृषि को विकसित करना ही होगा। वॉलमार्ट इंडिया के अध्यक्ष कृष्णा अय्यर ने कहा कि उनकी कंपनी राज्य में अगले तीन-पांच वर्षों में 15 स्टोर खोलेगी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्तर पर 30,000 से 35,000 रोजगार पैदा करेंगे। अय्यर ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी लगभग पांच बागवानी फसलों को खरीदने की योजना बना रही है।

अब खाद होगी 30 प्रतिशत महंगी

नई दिल्ली (विसं)। रबी फसलों की बुवाई के लिए किसानों को अब खाद खरीदना और भी महँगा हो जाएगा। इसके लिए उन्हें 30 प्रतिशत ज्यादा कीमतें देनी पड़ेंगी। इस साल डीएपी खाद की कीमतों में 350 और पोटाश की कीमतों 370 रुपये से अधिक बढ़ोतरी की गई है। पंजाब में डीएपी खाद कीमतों को बढ़ाकर 1,400 रुपए प्रति 45 किलो कर दिया गया है जबकि पिछले साल इसकी कीमत 1,050 रुपये प्रति 45 किलो था। इसी क्रम में पिछले साल पोटाश की कीमत 550 रुपये से बढ़कर 920 रुपये प्रति 45 किलो हो गई थी। यूरिया की कीमतें भी 265 रुपये प्रति किलो हो गयी हैं। हरियाणा में भी डीएपी खाद कीमतों को बढ़ाकर 1,340 रूपये प्रति 45 किलो कर दी गई है। नई डीएपी खाद न आने की वजह से कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। मार्च में इसकी कीमत 1,080 रुपये प्रति 45 किलो जबकि यूरिया की कीमत 265 रुपये प्रति 45 किलो थी. बाज़ार में कम उपलब्धता की वजह से 270 से 280 रुपये प्रति 45 किलो में बिक रहा है।

सम्पादकीय

कृषि असंतोष का समाधान

समय-समय पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों की शक्ल में सामने आने वाले अंतहीन कृषक असंतोष की जड़ें उनकी निम्न आय और सरकार की तरफ से समुचित नीतिगत उपाय नहीं किए जाने में निहित देखी जा सकती हैं। कृषि उपजों की कीमतें अन्य उत्पादों की तुलना में कम बढ़ रही हैं और ग्रामीण इलाकों में मजदूरी भी कम है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत की हालिया अवस्फीति में 70 फीसदी अंशदान ग्रामीण मुद्रास्फीति का रहा है। आय कम होने से दूध एवं प्रोटीन जैसे खाद्य उत्पादों की मांग कम हो जाती है जिससे उन उत्पादों की कीमतों में भी कमी आ जाती है। आय में स्थायी कमी होने से किसान कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, किसान कर्ज माफी का शोर बढ़ने लगा है और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की मांग भी तेज हुई है। पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी ये पहलू समान रूप से मौजूद थे।

एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित कृषक आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव लागू करने की मांग भी इसी श्रेणी में शामिल है। आयोग ने कहा था कि फसलों के लिए खरीद मूल्य समेकित उत्पादन लागत (सी2 कॉस्ट) से 50 फीसदी अधिक रखी जानी चाहिए। आयोग ने कृषि उपज के बजाय किसानों की आय को नीतियों के केंद्र में रखने की अनुशंसा की थी। इन सिफारिशों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का रुख भी अपेक्षित नहीं रहा है। एमएसपी तय करते समय सी2 पर कुल फसल लागत को ध्यान में रखने की जगह सरकार का एमएसपी वृद्धि का कदम केवल पेड-आउट लागत पर आधारित है और उसमें कृषक परिवार के श्रम-मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। यह कड़वा सच है कि अनुपालन संबंधी दिक्कतों के चलते नई एमएसपी कीमतें भी अधिकतर किसानों को नहीं मिल पा रही हैं। कुछ राज्यों में शुरू की गई कृषि आय आश्वासन योजनाएं भी क्रियान्वयन संबंधी अवरोधों से जूझ रही हैं लिहाजा किसानों को उनका बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में, आय सृजन एक आर्थिक विषय है और बाजार-आधारित रणनीतियों से ही उससे निपटा जा सकता है। फसल उत्पादकों को वाजिब कीमत देने के लिए सक्षम, पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धी एवं बाधा-रहित मार्केटिंग अनिवार्य है। ऐसा होने पर ही फसलों की उपज बाजार की मांग के हिसाब से तय की जा सकती है जिससे अधिशेष एवं अभाव की स्थिति से काफी हद तक निपटा जा सकता है। मौजूदा समय की तरह मनमाने ढंग से तय कीमतें उत्पादन में विकृति, प्रचुरता की स्थिति और उत्पादकों को मिलने वाले भाव में कमी का सबब बनती हैं। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों की चलाई अधिकांश कृषि विकास योजनाएं गलत दिशा में हैं। ये योजनाएं मोटे तौर पर फसल उपज बढ़ाने पर केंद्रित हैं और अधिशेष की स्थिति में कीमतों पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को नजरअंदाज करती हैं। सरकार की विदेश व्यापार नीतियां भी किसानों के हित सुरक्षित रखने के बजाय मुद्रास्फीति के प्रबंधन पर ही अधिक केंद्रित होती हैं। अधिशेष उपज के असर को कम करने के लिए एक निर्यात विंडो रखना अनिवार्य है। लेकिन मुद्रास्फीति पर काबू पाने के नाम पर ऐसी विंडो रखने से अमूमन परहेज किया जाता है। नीति आयोग के एक विमर्श पत्र से पता चलता है कि ग्रामीण आय का करीब दो-तिहाई हिस्सा गैर-कृषि स्रोतों से आता है। यह राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (एनएसएसओ) की उस रिपोर्ट से इत्तफाक रखता है कि कृषि के बजाय मजदूरी ही छोटे एवं सीमांत किसानों की 56 फीसदी आय का जरिया है। साफ है कि ग्रामीण इलाकों के आसपास रोजगार के अवसर बढ़ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है। बागवानी और फूलों की खेती जैसी अधिक आकर्षक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देकर कृषि आय बढ़ाई जा सकती है। एमएसपी में बढ़ोतरी और कर्ज माफी के बजाय आय-सृजन की बहुआयामी रणनीति किसानों के असंतोष को शांत कर सकती है।

इस समय आलू की फसल में लग सकता है झुलसा रोग, ऐसे करें प्रबंधन

लखनऊ। तापमान गिरने और लगातार मौसम में बदलाव से इस समय आलू की फसल में कई तरह के लोग लग जाते हैं, अगर समय रहते इनका प्रबंधन न किया गया तो आलू किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बारे में केंद्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, मोदी पुरम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनुज भटनागर बताते हैं, अभी तो आलू की फसल में कोई रोग लगने की जानकारी नहीं आयी है, लेकिन आने वाले समय में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बादल होने पर आलू की फसल में फंगस का इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, जो झुलसा रोग का प्रमुख कारण होता है। जैसे ही बादल आए तुरंत दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इस समय किसानों को चाहिए कि खेत में नमी बनाए रखें और शाम के समय अगर कहीं पर कोहरा दिखायी दे तो शाम के समय घास-फूस इकट्ठा करके आग चलाकर धुआ करना चाहिए। इस समय भारत दुनिया में आलू के रकबे के आधार पर चौथे और उत्पादन के आधार पर पांचवें स्थान पर है। आलू की फसल को झुलसा रोगों से सब से ज्यादा नुकसान होता है। झुलसा रोग दो तरह के होते हैं, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। अगेती झुलसा दिसंबर महीने की शुरुआत में लगता है, जबकि पछेती झुलसा दिसंबर के अंत से जनवरी के शुरूआत में लग सकता है। इस समय आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग लग सकता है। अगेती झुलसा में पत्तियों की सतह पर छोटे-छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिनमें बाद में चक्रदार रेखाएं दिखाई देती है। रोग के प्रभाव से आलू छोटे व कम बनते हैं। पछेती झुलसा आलू के लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है। वातावरण में बदलाव से होने वाले रोग के कारण चार से छह दिन में ही फसल बिल्कुल नष्ट हो जाती है।

छोटे किसानों के लिए फायदे मंद हैं छोटे सिंचाई पंप

1 या 1.5 अश्वशक्ति (एचपी) से कम की क्षमता वाले छोटे पंप इन दिनों काफी प्रभावी साबित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन छोटे पंप के कई फायदे हैं जो किसानों को इनकी तरफ आकर्षित करते हैं।

ये हैं फायदे: इनकी कीमत 5 हजार से 15 हजार रुपये के बीच होती है जो बाज़ार में मिलने वाले 5 से 8 एचपी वाले पंपों की तुलना में आधे से भी कम है। इनका वजन बहुत कम होता है इसलिए इन्हें पीठ पर या साइकिल पर भी रखकर एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना बहुत आसान होता है। इनसे निकलने वाले पानी की धार बहुत तेज नहीं होती जिससे सतही मिट्टी का अपरदन नहीं होता। कम विद्युत क्षमता वाले इन पंपों को ऐसे क्षेत्रों में भी आसानी से चलाया जा सकता है जहां बिजली की समस्या रहती है। ये पंप सिंगल फेज वाले क्षेत्रों में भी चल जाते हैं। जबकि बड़े पंपों के लिए कम से कम 3 फेज वाले हाईटेंशन कनेक्शन की ज़रूरत होती है।

इन पंपों को मुख्य रूप से सब्जियों और फूलों की खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इसमें खर्च होने वाले पानी के मुकाबले बहुत अधिक आय अर्जित करती हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सिंचाई की कमियों को दूर कर सकते हैं, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर सकते हैं और किसानों की मदद कर सकते हैं कि वे जलवायु परिवर्तन से बचाव वाले तौर तरीके अपनाएं।

बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों के लिए रामबाण: कुल मिलाकर, देश के ऐसे हिस्से जहां सुविधाओं की कमी है, छोटे पंप गरीबी से लड़ने और ज्यादा मुनाफा कमाने वाला रामबाण साबित हो रहे हैं। इन पंपों को सौर ऊर्जा से भी चलाया जा सकता है इसलिए जहां बिजली नहीं आती वहां भी ये किसानों का काम आसान बनाते हैं। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में भूजल का उपयोग बहुत कम है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली की समस्या भी हमेशा बनी रहती है और सड़क व ट्रांसपोर्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी न होने के कारण शहरों से डीज़ल खरीद कर लाना भी हर बार मुमकिन नहीं हो पाता।

यहां के पिछड़े इलाकों के ज़्यादातर किसान तो सिंचाई के तकनीकी साधनों के बारे में कभी सोच भी नहीं पाते। बस कुछ ही होते हैं जो गहरे कुओं से या उच्च क्षमता वाले पंपों से सिंचाई कर पाते हैं। जैसे-जैसे संचार में सुधार हो रहा है और बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है, असम और बाकी आदिवासी क्षेत्रों के किसानों ने भी भू - संसाधनों के इस्तेमाल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।

सच ये है कि वे कृषि के सिंचाई संसाधनों से ठीक से परिचित नहीं थे, उनके पास बाजार के लिए फसल उगाने से का अनुभव नहीं था क्योंकि वे ज़्यादातर घर में इस्तेमाल होने वाली फसल ही उगाते था। इसके अलावा कृषि में नवीन प्रयोग करने की क्षमता भी उनमें कम थी।

सरकार पर निर्भरता अनुभव और क्षमता की कमी के कारण वे ज़्यादातर सरकार से मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं पर ही निर्भर रहते थे। ज्यादातर सरकारी योजनाएं जैसे मिलियन वेल स्कीम या शैलाव ट्यूबवेल कार्यक्रमों में सब्सिडी पर बड़ी क्षमता वाली पंप दिए, जिससे बड़ किसानों को फायदा मिला। ये देखकर छोटे किसान भी इस ओर आकर्षित होने लगे लेकिन जब यहां के किसानों को छोटे पंपों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपनाया और वे कम लागत में अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

कब होगी बारिश, कब करें किस फसल की बुवाई जैसी कई जानकारियां देगा ये ऐप

लखनऊ (विसं)। कई बार किसानों को जितना नुकसान बारिश और सूखे से नहीं होता है, उससे ज्यादा असमय बारिश हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर किसान को खेती से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहे तो किसान नुकसान से बच सकता है। ऐसा ही एक ऐप है इफको किसान का ऐप, इसमें मौसम से लेकर मंडी तक का अपडेट रहता है। अगर किसान इन ऐप का इस्तेमाल करें तो न सिर्फ उनका नुकसान कम होगा बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है। खेती संबंधित मोबाइल ऐप इफको किसान के कंटेंट एजूकेटर विवेक दीक्षित बताते हैं, किसानों को सही समय पर जानकारी न मिलने पर कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इस ऐप से किसानों को खेती, पशुपालन, मौसम और मंडी संबंधित जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। जब अच्छी फसल होती है, तो बार वर्ष फसल के दाम गिर जाते हैं। ऐसे में भी कई बार किसान अच्छा फायदा नहीं ले पाते हैं। किसान अगर इन ऐप का इस्तेमाल करें तो अपनी फसल की अच्छी कीमत घर बैठे पा सकता है। मिथेन उत्सर्जन में आई कमी इफको के इस ऐप में किसानों से जुड़ी पूरी जानकारी मिलती है। इसमें फसल का रेट कहां क्या है, यह जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। इससे किसान घर बैठे जानकारी कर सकता है कि उसकी फसल का सही रेट कहां मिल सकता है। इसके अलावा किसान यह भी जान सकता है कि कौन उस फसल को खरीदेगा। इस ऐप से आपको सरकारी की कृषि से जुड़ी सब्सिडी की जानकारी भी मिलती है। इस आधार पर भी आप अपनी पैदावार से ज्यादा फायदे में बदल सकते हैं। इसके अलावा मौसम की जानकारी भी आपको कौन सी फसल लगानी चाहिए, यह फैसला करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा मिट्टी से जुड़ी जानकारी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, रिटेलर सहित एग्री मार्केटिंग की जानकारी भी मिल सकती है।

फसलों को पाले एवं सर्दी से बचाव के वैज्ञानिक उपाय

अधिकांश फसलें सर्दियों में पड़ने वाले पाले से प्रभावित होती है। सब्जी व फल इस पाले के प्रति संवेदनशील होते है, जबकि खाद्यान फसलें अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती है। अधिक मात्रा में पाला पड़ने से फसलों को आंशिक एवं पूर्ण रूप से हानि पहुंचती है जबकि अत्यधिक पाला फसलों का शत प्रतिशत नुकसान कर सकता है। पाला पड़ने की संभावना प्राय: 10 दिसम्बर से 10 जनवरी तक ही होती है परंतु कुछ वातावरणीय कारणों से इसकी अवधि पूरे दिसम्बर से जनवरी माह के अन्त तक भी हो सकती है।

पाले का प्रभाव पहाड़ों के बीच के क्षेत्रों में ज्यादा देखा गया है। मैदानी क्षेत्रों में जहां उष्ण कटिबंधीय फसलें उगाई जाती है वहां फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में पाले का प्रभाव पाया गया है। इसके कारण फलदार पौधों का भी नुकसान होता है। ऐसे में पौधों के पत्ते सड़ने से बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। पत्तियां, फूल एवं फल सूख जाते है। फलों के ऊपर धब्बे पड़ने लगते है जिससे उनका रूप व स्वाद भी खराब हो जाता है।

पाला पड़ने के कारण

दिसम्बर-जनवरी के महिने में रात के समय जब वायुमण्डल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला जाता है तथा अचानक हवा बंद हो जाती है, तो भूमि के धरातल के आस पास घास फूस व पौधों की पत्तियों पर बर्फ की पतली परत जम जाती है इसी पतली परत को पाला कहते है।

पाले से पौधे व फसलों पर प्रभाव/लक्षण

➪ पाले के प्रभाव से फल मर जाते हैं व फूल झड़ने लगते है।

➪ प्रभावित फसलों का हरा रंग समाप्त हो जाता है तथा पत्तियों का रंग मिटटी के रंग जैसा दिखता है। ऐसे में पौधों के पत्ते सड़ने से बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ जाता है।

➪ पत्ती, फूल एवं फल सूख जाते है। फलों के उपर धब्बे व स्वाद भी खराब हो जाता है। पाले से प्रभावित फसलों, फल व सब्जियों मे कीटों का प्रकोप भी बढ जाता है।

➪ सब्जियों पर पाले का प्रभाव अधिक होता है। कभी-कभी शत प्रतिषत सब्जी की फसल नष्ट हो जाती है।

➪ फलदार पौधे पपीता, आम आदि में इसका प्रभाव अधिक पाया गया है।

➪ शीत ऋतु वाले पौधे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहने में सक्षम होते है। इससे कम तापमान होने पर पौधे की बाहर व अन्दर की कोशिकाओं में बर्फ जम जाती है। पाला पहाड़ के बीच के क्षेत्रों में अधिक पड़ता है।

➪ पाले के कारण अधिकतर पौधों के फूलों के गिरने से पैदावार में कमी हो जाती है। पत्ते, टहनियां और तनों के नष्ट होने से पौधों को अधिक बीमारियां लगती है।

पाले के प्रभाव को कम करने के उपाय

नर्सरी स्तर पर

टाटियां बांधकर

➪ खुली मिट्टी का तापमान जल्दी गिरता है इसलिए पलवारया घास के ढ़कने से इसमें पाले का नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सकता है। पौधों के ऊपर पलवार बिछाने से नर्सरी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नही होता है।

➪ पौधों के ऊपर प्लास्टिक की छत बनाकर पौधो को पाले के प्रभाव से बचाया जा सकता है।

धुआ उत्पन्न करके व आग जलाकर

➪खेत में धुंआ उत्पन्न करना भी पाले से बचाने का ठीक उपाय है इससे तापमान जमाव तक नहीं पहुंचाता।

➪ अधिक मात्रा में आग जलाकर ऊपर और नीचे की ठण्डी और गर्म हवा को बिना फैलाये मिलाया जा सकता है। 10 मीटर ऊचाई तक कोहरे में यह उपाय ज्यादा उपयोगी रहता है।

कम तापमान से प्रभावित होने वाली फसलों की सूची निम्न है।

न्यूनतम तापमान जिसमें पौधों को हानि होती है	फसल का नाम	फसलें (पाले के प्रति)
0 से 1 डिग्री सेटीग्रेड	स्ट्राबेरी, खीरा, स्क्वैष, कद्दू, खरबुजा, सेम, काली मिर्च, तम्बाकू केला, टमाटर	नाजुक फसलें
1 से 2 डिग्री सेटीग्रेड	आलू, मक्का, सेब, नाशपाती (पुष्पकाल), चैरी, सेम (पुष्पकाल), फूलगोभी, ब्रोकली, मटर, पालक, मूली व अंगूर	कम नाजुक फसलें
2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड	सेब (फल एवं कली), अल्फा-अल्फा, खजूर, चुकन्दर, बन्दगोभी व शलजम	कठोर फसलें (असवेदनशील)

सिंचाई करके

➪ पौधों की थोडे-थोडे समय के बाद सिंचाई करनी चाहिए। हल्की सिंचाई विधि ओस का नियंत्रण करने मे सहायक सिद्ध होती है।

पॉलीहाउस का प्रयोग

➪जिन क्षेत्रों में पाला पड़ने की अधिक संभावना होती है उन क्षेत्रों में नर्सरी वाले पौधे को पॉली हाउस के अन्दर लगाना चहिए ताकि उन्हे उगने के लिए पर्याप्त तापमान मिल सके व पाले के प्रभाव से बच सके।

खेत के स्तर पर

पानी का बर्तन

टमाटर आदि के फसल में हर तीसरी पंक्ति के बाद एक साफ पानी का बर्तन जो कि पौधों से 4-5 इंच ऊचा हो रखा जा सकता है जिससे ज्यादा पाला पड़ने पर पानी जम जाएगा और उससे निकली ऊष्मा से पौधों का पाले से बचाव हो सकता है।

ऊष्मारोधक: फसल की छत ऊष्मारोधक बननी चाहिए जिससे केवल छत ही ठण्डी होगी और फसल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। पौधों के ऊपर प्लास्टिक बैग बांध कर भी पौधों को बचाया जा सकता है।

वायु मिश्रण: बादल रहित रातों में हवा का भूमि के संपर्क में आने से धरातल पर ठण्डी सतह बन जाती है जिससे 50 मी. से ऊपर वाली सतह का तापमान बढ़ जाने के कारण यह सतह हल्की गरम होती है। यह स्थिति दिन के समय से बिल्कुल विपरीत होती है अर्थात् तापमान ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। उक्त प्रक्रिया वायु मशीनों, पंखों और हेलीकॉप्टर की सहायता से पूरी की जाती है।

पानी का छिड़काव: इस विधि में बहुत भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह विधि उन्ही पौधों पर प्रयोग की जाती है जिनकी टहनियां और पत्ते बर्फ के भार को संभाल सके। फव्वारा विधि से छिड़काव करने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। हिंमांक बिन्दु तक पहुंचने से पहले इस विधि का लगातार प्रयोग करना चाहिए ताकि पौधों का तापमान एक समान रहे।

(अ) पौधों के आस पास से खरपतवारों को निकालना

पौधों और फसलों के बीच खरपतवार सूर्य की किरणों को प्ररिवर्तित कर देते है जो अधिक वाष्पीकरण का कारण बनती है जिससे मृदा का तापमान कम हो जाता है इसलिए खरपतवारों को निकाल देना चाहिए।

शेल्टर बेल्ट: अगर किसी विशेष दिशा से ओस पड़ने की संभावना हो तो आवास पट्टिया लगाकर उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। साधारणतया यह आवास पट्टियां दक्षिणी-पश्चिमी दिश की तरफ लगानी चाहिए। कम ओस-अवरोधी पौधों को आवास पट्टियों में लगाना उपयुक्त हो सकता है।

प्रकाश: फलदार पौधों को पाले के नुकसान से बचाने के लिए 100 वॉट बिजली का बल्ब के हरे भाग के नीचे लगाएं तो फलदार पौधों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

मृदा प्रबंधन: ठोस मृदा में पाले का असर कम होता है क्योंकि यह ऊष्मा को मुक्त नहीं होने देती इसलिए पाला पड़ने की संभावना वाले दिनों में मृदा को गुड़ाई या जुताई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मृदा मुलायम हो जाती है और इसका तापमान कम हो जाता है।

➪ जिन क्षेत्रों में पाले की संभावना अधिक रहती है वहां चुकन्दर, गाजर, गेंहू, मूली, जौ आदि फसलें बोने से ओस का प्रभाव कम होता है।

➪ पाले से प्रभावित होने वाली फसलों की अवरोधी किस्मों की बुवाई करने से भी पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है जैसे आलू की कुफरी शीतमान, सिन्दूरी व कुफरी देवा आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

रासायनिक तरीके

गंधक के अम्ल का छिड़काव करके

➪बारानी फसलों में ओस का प्रभाव दिखने पर गंधक का 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव इस तरह करें कि पौधे पूरी तरह भीग जाए। इस तरीके से ओस से होने वाले नुकसान से बचाव के साथ-साथ पौधे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और फसल जल्दी पकती है। इसके प्रयोग से गेंहूँ, चना, सरसों, आलू, मटर आदि को बचाया जा सकता है।

डी.एम.एस.ओ. का छिड़काव करके

➪ ओस की संभावना होने पर प्रति हैक्टर डाई मिथाईल सल्फो आक्साइड (डी.एम.एस.ओ.) 75-100 ली. पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यदि अपेक्षित परिणाम न मिले तो 10-15 दिन बाद पुन: छिड़काव करे।

साइकोसेल व ग्लूकोज का छिडकाव करके

➪ फसलों व सब्जियों में फूल आने से पहले 0.03 प्रतिशत साइकोसेल का छिड़काव कर सकते है। ग्लूकोज का मुख्य रूप से गर्मी में प्रयोग किया जाता है। एक किलो ग्लूकोज को 800-1000 ली. पानी में घोल बनाकर प्रति हैक्टर छिड़काव करे।

पौधों का पोषण प्रबंधन

➪पौधों का पोषण प्रबंधन जैसे कि नाइट्रोजन खाद व अन्य पोषक तत्वों का छिड़काव करके फलदार पौधो को ओस से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

➪ पौधों के सख्त होने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए पौधों को गर्मी के अंत और पतझड़ के शुरूआती दिनों में नाइट्रोजन खाद के प्रयोग से बचना चाहिए। फॉस्फोरस पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। पोटेशियम का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सूक्ष्म या गौण तत्वो का प्रयोग करके

पौधों को ओस से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सूक्ष्म या गौण तत्व जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, बोरोन आदि के घोल का छिड़काव करना चाहिए। रसायन जैसे तांबे और जस्ते का छिड़काव करने से फलदार पौधों को बचाया जा सकता है।

ये रसायन पौधों पर फूल आने के समय में विलम्ब कराते है जिससे फलदार पौधों की पैदावार में ओस के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।

प्याज किसानों को लागत का 15 प्रतिशत दाम भी नहीं मिल रहा

मुंबई (कासं)। सरकार भले किसानों को लागत का 150 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के दावे कर रही हो, प्याज किसानों के लिए 15प्रश. लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार का आकलन है कि एक किलो प्याज उगाने में 8.50 रुपए का खर्च आता है। नासिक में प्याज की सबसे बड़ी लासलगांव मंडी में पुरानी फसल के दाम 100-300 रु. प्रति क्विंटल हैं। नई फसल की कीमत 800-1,000 रु. तक है। लेकिन बहुत सी जगहों पर किसान 1-1.50 रुपए के भाव उपज बेचने को मजबूर हैं। नासिक के संजय साठे को 750 किलो प्याज बेचकर सिर्फ 1,064 रुपए मिले तो विरोध में पूरी रकम प्रधानमंत्री को भेज दी। मध्य प्रदेश के नीमच में एक किसान को 2,100 किलो प्याज बेचकर 2,300 रु. मिले। यानी 1.09 रु. किलो। महाराष्ट्र, एमपी दोनों देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। कुल उत्पादन में 43 प्रश. हिस्सा इन्हीं दोनों राज्यों का है।

विदेश में मांग नहीं: निर्यात की नीति बार-बार बदलने से ग्लोबल मार्केट में भारत की विश्वसनीयता कम हुई, पाकिस्तानी प्याज की मांग ज्यादा।

एक महीने में खुदरा दाम 5 रुपए घटे : किसानों को भले प्याज की कीमत 1 रुपए किलो मिल रही हो, उपभोक्ताओं को खास राहत नहीं है। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में खुदरा कीमत 25-27 रुपए, नासिक में 15 रुपए और मध्य प्रदेश के शहरों में 15-30 रुपए तक है। दिसंबर की पहली तारीख से यही भाव बने हुए हैं। 1 नवंबर को दिल्ली में दाम 31 रुपए, नासिक में 24 रुपए और एमपी में 15-30 रुपए थे।

2017-18 में निर्यात 35 प्रश. घट गया : लासलगांव एपीएमसी के चेयरमैन जयदत्त होल्कर इसके लिए प्याज निर्यात की बदलती नीति को जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में नीति इतनी बार बदली कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी विश्वसनीयता नहीं रही। वहां पाकिस्तानी प्याज की मांग ज्यादा है। 2016-17 में भारत ने 24.16 लाख टन प्याज निर्यात किया। 2017-18 में यह 15.89 लाख टन रह गया। इस साल अब तक 8.31 लाख टन निर्यात हुआ है।

चार एकड़ में 600 क्विंटल प्याज हुआ, बेचने पर 9 हजार का घाटा : नासिक के मोह गांव के किसान संपत ने 4 एकड़ में प्याज लगाई थी। प्रति एकड़ 52,000 रु. खर्च आया। उत्पादन 600 क्विंटल हुआ। तीन-चार महीने रखने में 150 क्विंटल प्याज खराब हो गई। पहले 250 क्विंटल प्याज मंडी में ले गए। 400 रु. के भाव से एक लाख रु. मिले। इसके बाद 100 क्विंटल के 480 रु. के रेट से 48,000 रु. मिले। 50 क्विंटल प्याज 500 रु. के भाव बेचा तो 25,000 मिले। बचे हुए 50 क्विंटल के 520 रु. के रेट से 26,000 रु. मिले। इस तरह 4 एकड़ में 2.08 लाख रु. खर्च हुए जबकि मिले सिर्फ 1.99 लाख।

छत्तीसगढ़ी भैंस को पशु नस्ल पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र

नई दिल्ली (विसं)। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक मिशन दिया. किसान पशुधन से कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सभी राज्य अनुदान भी देते हैं। भैंस हो या गाय, इसके द्वारा किसान भाई अपनी एक डेरी भी खोल सकते हैं। अभी हाल ही में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने ऐसी सभी नस्लों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वितरण भी किया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ी भैंस को पशु नस्ल पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इस अवसर पर गोवंश की दो नस्लें लद्दाखी (जम्मू और कश्मीर) और कोंकण कपिला (महाराष्ट्र और गोवा), भैंस की तीन नस्लें लुइत (असम और मणिपुर), बरगुर (तमिलनाडु), और छत्तीसगढ़ी (छत्तीसगढ़), बकरी की छह नस्लें काहमी (गुजरात), रोहेलखण्डी (उत्तरप्रदेश), असम हिल (असम), बिदरी और नंदीदुर्ग (कर्नाटक), भकरवाली (जम्मू और कश्मीर), एक भेड़ पंचाली (गुजरात), एक सुअर घुरों (उत्तर प्रदेश), एक गधा हलारी (गुजरात), और एक कुक्कुट, उत्तरा कुक्कुट (उत्तराखंड) कुल पंद्रह नए पशु नस्लों को पंजीकृत किया गया।राधा मोहन सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि 2014 - 2018 के बीच कुल 40 नई पशुओं के नस्ल को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन नई नस्लों की पहचान सूकर, गर्दभ, याक, बतख, हंस आदि जैसी प्रजातियों के लिए भी की गई जो अधिकतर सीमान्त किसानों के पास होते हैं।

कृषकों को हेल्थकार्ड के साथ मिलेगा, तीन लाख तक का क्रेडिट कार्ड

पटना (विसं)। राज्य के किसानों को आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नीतीश सरकार ने अब किसानों के लिए हेल्थकार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों के प्रखंडों में कृषि भवन का निर्माण किया जा रहा है। जहां पर किसानों को कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो सके।

ये बात बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने 3 करोड़ 70 लाख 87 हजार रुपये की लागत से बहादुरपुर प्रखंड में संयुक्त कृषि भवन के उदघाटन के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में सिंचाई के लिए अलग से प्रत्येक जिलों में कृषि फीडर का निर्माण कार्य शुरू कराया है। पंचायत स्तर कर किसानों की सुविधा के लिए कृषि कार्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार के 534 प्रखंडों और 8434 पंचायतों में पौधा संरक्षण, भूमि संरक्षण, सिंचाई योजना के लिए 1450 कृषि भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में 77 प्रतिशत किसानों को सरकार की ओर से सूखा का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। दरभंगा जिले से एक लाख तीस हजार किसानों का आवेदन आया है। जिसका लाभ उनके खाते में दिसंबर तक पहुंच जाएगा। गौरतलब है कि कृषि मंत्री ने इस काम के लिए 1430 करोड़ की राशि आंवटित की है। आर्थिक रुप से किसानों को मजबूती मिले इसके लिए तीन लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की भी घोषणा की हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इस दौरान बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि आम, लीची, मखाना, कतरनी चावल, केला की खेती को राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्यों में उर्वरकों के पर्याप्त भंडार उपलब्धः सदानंद गौड़ा

नई दिल्ली (विसं)। केन्द्रीय रसायन व उर्वरक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने दिल्ली में कहा है कि सभी राज्यों में उर्वरकों (खादों) के पर्याप्त भंडारण उपलब्ध हैं। खादों के किसी भी आकस्मिक जरूरत से निपटने के लिए उर्वरकों का भंडारण पर्याप्त है। गौड़ा ने बताया कि उर्वरक विभाग उर्वरकों के परिवहन के लिए भारतीय रेल के साथ दैनिक स्तर पर समन्वय कर रहा है। रबी के मौसम को देखते हुए देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्धता के लिए दैनिक स्तर पीआर निगरानी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, उर्वरक विभाग तथा भारतीय रेल द्वारा 4 दिसंबर, 2018 को संयुक्त रूप से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश के सभी राज्यों ने उर्वरकों के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने की सूचना पहुंचा दी है।

रबी के लिए साल 2018-19 (अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 तक) के लिए यूरिया की अनुमानित जरूरत 155.84 एलएमटी आंकी गई है।

9 साल में सबसे कम रह सकता है कपास उत्पादन

नई दिल्ली (विसं)। कॉटन उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में कपास का उत्पादन नौ साल में सबसे कम रह सकता है। इसमें 12 फीसदी की कमी हो सकती है। इसकी वजह कपास उत्पादन में अग्रणी दो उत्पादक राज्यों में कम वर्षा है। इस वजह से कॉटन एक्सपोर्ट में भी कमी आ सकती है। भारत कपास उत्पादन में दुनिया में अव्वल है। भारत से कम कॉटन एक्सपोर्ट होने से अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों को इसका फायदा मिल सकता है। ये देश चीन और पाकिस्तान जैसे प्रमुख एशियाई खरीदारों को कपास का निर्यात बढ़ा सकते हैं।

Hindchem Corproation

SUPPER POTASSIUM HUMATE SHINY FLAKES

ZINK EDTA

SEAWEED EXTRACT FLACKES

N.P.K. WATER SOLUBLE FERTILIZER

AMINO ACID

AMINO+HUMIC SHINY BALLS
FERROUS SULPHATE19%
MAGNESIUM SULPHATE 9.6%
FERROUS EDTA12%
E.D.T.A. ACID
CAMPHOR
SODIUM BICARBONATE
EDTA DISODIUM
CITRIC ACID MONOHYDRATE
MANGANESE SULPHATE 30.5%
SULPHUR 90% -80WDG
BORON 20%
BRONOPOL 25%
PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

क्या नई एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी से चमकेगी किसानों की किस्मत?

नई दिल्ली। नई एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में सरकार ने निर्यात बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 2022 तक एग्री एक्सपोर्ट दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के मुताबिक यह तब 60 अरब डॉलर हो जाएगा। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी से कृषि क्षेत्र और इससे जुड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इस कारोबार से जुड़ी कंपनियों और निर्यातकों ने यह बात कही है। उनका कहना है कि इंफास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, क्लस्टर्स पर ध्यान देने और राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ने से निवेश नए मौके बनने के साथ किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिलने का रास्ता तैयार होगा।

मराठा आरक्षण पर बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा

मुंबई (कासं)। मराठा समाज को आरक्षण देने के नए कानून के तहत नौकरी का विज्ञापन निकालने पर बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा, 'इस तरह की गैर जरूरी परिस्थितियों से बचना चाहिए और सरकार को याचिकाओं को सुनने के लिए कोर्ट को कुछ समय देना चाहिए।' मराठा समाज को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 16 फीसद आरक्षण देने के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई लंबित है। आरक्षण के कानून पर जनहित याचिका दायर करने वाले एडवोकेट गुनारतन सदावर्ते ने कोर्ट का ध्यान महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन की तरफ दिलाया।

उन्होंने बताया कि आवेदन हाल ही में लागू किए गए मराठा आरक्षण कानून के तहत मांगे गए हैं। इस पर सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील वीके थोराट ने कहा कि केवल आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए अंतिम परीक्षा जुलाई 2019 में होनी है। ऐसे में इन पदों पर पूर्ण नियुक्ति के लिए छह महीने से अधिक का समय लगेगा।

गुणों की खान है गेहूं की देसी किस्म सी -306

नई दिल्ली (विसं)। वैज्ञानिकों ने अब देसी किस्म सी -306 पर काम करना शुरू कर दिया। इस किस्म द्वारा बनाई रोटी काफी बेहतर मानी गई है. सबसे पहले उन्होंने बीज को अच्छे से तैयार किया तो उन्हें इस बीज में रेजिस्टेंस स्टार्च वाली किस्म मिली जो आसानी से पचने में कामयाब है। इस पर उन्होंने कई सुधार किए और 5 साल के लिए रिसर्च करने के लिए इसे वैलिडेट कर दिया। जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसका स्टार्च 40 प्रतिशत धीमा पचता है। यह गेहूं खाने के लिए अच्छा है। अभी भी इसके और भी फायदों को जानने के लिए कई तरह के परीक्षण किए जा रहे है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी किस्म की खोज की है, जिससे आपको खाना खाते ही कोई शुगर नियंत्रित दवा का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर गेहूं कि रोटी से भी परहेज नहीं करना पड़ेगा। इससे मधुमेह

के मरीजों को काफी राहत मिलेगी और यह उनके लिए वरदान साबित होगी। यह एक ऐसी धीमी पचने वाली स्टार्च की किस्म है जो नाबी के वैज्ञानिकों ने खोजी है। नाबी के वैज्ञानिकों ने इस किस्म को पूरी तरह तैयार कर लिया है। डॉ. जय कुमार और उनकी टीम द्वारा यह परीक्षण 5 साल चला जो की सफल रहा। अब इस किस्म को ज्यादा मात्रा में उगाने की पूरी तैयारी की जा रही है।

आम गेहूं के मुकाबले 99 प्रतिशत स्टार्च: इस किस्म में आम गेहूं के मुकाबले 99 प्रतिशत स्टार्च आसानी से पचाया जा सकता है। क्योंकि स्टार्च मोटापे और मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता।

हर उम्र के लोगों को इस से परहेज करना चाहिए। जितना हो सके रात को चावल,चपाती आदि का सेवन बहुत कम मात्रा में करे। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। इसको ध्यान में रख कर ही इस किस्म की खोज की गई है। यह स्टार्च रेसिस्टेंट स्टार्च है, जो आसानी से पचाया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगी देश की 'नई निर्यात नीति'

नई दिल्ली (विसं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विभिन्न वस्तुओं पर मौजूदा निर्यात प्रतिबंधों को हटाकर देश के कृषि निर्यात को 2022 तक दोगुना करना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न लाइन मंत्रालयों/विभागों और एजेंसियों से संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की नुमाइंदगी के साथ नोडल विभाग के रूप में वाणिज्य मंत्रालय के साथ केंद्र में निगरानी ढांचे की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक, पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए कुल 1,400 करोड़ का खर्च होंगे, जो पहले से ही विभिन्न योजनाओं के तहत मौजूद है। इसके अलावा, केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि इस नीति का बेहतर इस्तेमाल हो सके। 'ड्रिप कैपिटल' के सह-संस्थापक और सह-सीईओ पुष्कर मुकेश ने कहा है कि, कृषि में भारत के कुल व्यापार निर्यात का 10 प्रश. शामिल है। अकेले 2017 में भारत ने 31 अरब अमेरिकी डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जो वैश्विक कृषि व्यापार का 2 प्रश. है। ऐसे में यह नई कृषि निर्यात नीति, बुनियादी ढांचे, मानकीकरण, विनियमन और अनुसंधान एवं विकास समेत भारत के कृषि निर्यात के सभी पहलुओं में आमूल चूल परिवर्तन लाने में मदद करेगी। भारत का 50 जिलेवार निर्यात-केंद्रित 'क्लस्टर' विकसित करने का निर्णय, प्रत्येक क्लस्टर के लिए स्वदेशी कृषि उपज से जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। ड्रिप कैपिटल अपना अनुभव टियर -2 और टियर -3 शहरों में समूहों के निर्यातकों के साथ साझा कर रहा है जो संगोष्ठियों के माध्यम से वित्त पोषण का समाधान प्रदान करता है।

कृषि निर्यात नीति को हरी झंडी

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र का निर्यात 2022 तक दोगुना कर 60 अरब डालर पर पहुंचाने के लक्ष्य को सामने रखते हुये कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुये कहा, कृषि निर्यात नीति का मकसद क्षेत्र से चाय, काफी, चावल तथा अन्य जिंसों के निर्यात को बढ़ावा देना है। इससे वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुये प्रभु ने कहा, कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश का कृषि निर्यात दोगुना कर 60 अरब डालर तक पहुंचाना है।

इस नीति में कृषि निर्यात से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर किया गया है। इसमें ढांचागत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमन को बेहतर बनाना, बिना सोचे फैसले फैसलों पर अंकुश और शोध एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है।

फसल बीमा नहीं कराने पर भी मिलेगा मुआवजा

रांची (विसं)। सरकारी योजनाओं का लाभ देश के किसानों को आसानी से मिल सके इसके लिए सरकारें अक्सर नयी पहल करती रहती है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी एक बड़ी पहल की हैं। दरअसल झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने यह घोषणा की है कि जिन किसानों ने खरीफ में फसल बीमा नहीं कराया था, सरकार सूखा का उनको भी मुआवजा देगी, जहां वर्षा आधारित खेती होती है, वहां के किसानों को प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये तथा सिंचित इलाकों में 13500 रुपये बीमा कराने वाली कंपनियों के द्वारा मुआवज़े के रूप में दिया जायेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने बीमा कराने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि किसानों के क्लेम के 45 दिनों के बाद राशि उनके एकाउंट में चली जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो बीमा करने वाली कंपनियों पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को कैम्प लगाकर उन्हें पंप सेट का वितरण करें। कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। किसान सूखा का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ गयी है।

इस चुनौती को अवसर में बदलने का समय है। इसके लिए किसानों को कुछ बीज शत प्रतिशत और कुछ 90 फीसदी अनुदान पर दिए जायेंगे। जिन किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर बीज मिल चुका है, उनको भी 40 फीसदी और सब्सिडी की राशि खाते में भेज दी जायेगी।

कृत्रिम विधि से अब गायें बछड़ी ही देंगी

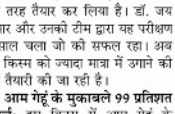

हिमाचल की सरकार डेयरी फार्मिंग में एक बड़ी क्रांति लाने की तैयारी में है। इसके लिए हिमाचल सरकार एक नई तकनीक की ईजाद करने जा रही है। इस नई तकनीक से गाय का गर्भाधान करने के बाद बछड़ी ही पैदा होगी। ऐसा होने से जहां डेयरी फार्मिंग बिजनेस में इजाफ़ा होगा वहीं सांडों के संख्या में कमी आयेगी। फिलहाल इसका अभी ट्रायल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कवर सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस तकनीक को मंजूरी दे दी है, इसके लिए केंद्र सरकार ने केवल एक ही शर्त रखी है। किसी भी जिले में पर्याप्त जमीन मिल जाने पर ही उस जिले में अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और उसी लैब में इंजेक्शन तैयार किया जायेगा सरकार हर जिले में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए गहनता से विचार कर रही है। अगर इस तकनीकी के ट्रायल के नतीजे अच्छे रहे तो सभी जिलों में ये काम शुरू कर दिया जायेगा। इस तकनीक द्वारा विकसित किये गए इंजेक्शन से गाय को बछड़ी होने की संभावना 90 फीसदी तक रहेगी।

कर्नाटक में मिला तेजी से फैलने वाला नए तरह का खरपतवार

वैज्ञानिकों ने कर्नाटक में एक नए तरह के खरपतवार की पता लगाया है, जो देश में पहली बार देखा गया है। अगर सही समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो गाजर घास की तरह पूरे देश में फैल सकता है। इस पौधे की पहचान एथुलिया ग्रेसिलिस डेलीइल के रूप में की गई है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के कई जगह पर देखा गया है। आमतौर पर ये अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे पहले इसे निप्पानी-चिकोदी रोड के पास इकट्ठा किया गया था, धीरे-धीरे ये बागलकोट जिले के महलिंगपुर, मुधोल और जमखंडी तालुका में भी देखा गया।

दलहन और तिलहनों की खरीद में 13 गुना की वृद्धि

नई दिल्ली (कासं)। सरकार ने दावा किया है कि पिछले पांच साल के दौरान दलहन और तिलहनों की खरीद में तेरह गुना की वृद्धि हुयी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 44142.50 करोड़ रुपए की इन वस्तुओं की खरीद की गयी है। वर्ष 2014-15 से 2018..19 के दौरान 93.97 लाख टन दलहन और तिलहनों की खरीद की गई जिसके लिए किसानों को 44142.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

औसतन प्रति किसान को 80 हजार का फायदा : मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगना और आन्ध्र प्रदेश में 35800 करोड़ रुपए की 78.84 लाख टन दलहन और तिलहनों की खरीद की गई। इससे 54 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। इससे औसतन एक किसान को 80000 रुपए प्राप्त हुए हैं।

7.28 लाख टन दलहन और तिलहनों की खरीद : आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2009 से 2014 के दौरान दलहनों और तिलहनों की खरीद में अब तक 13 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 से 2014 के दौरान 3117.38 करोड़ रुपए मूल्य की 7.28 लाख टन दलहन और तिलहनों की खरीद की गई थी।

15053 करोड़ की बजटीय सहायता का प्रावधान: मोदी सरकार ने हाल में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत किसानों के लिए लाभकारी मूल्य योजना शुरू की है। इसमें दलहन और तिलहनों के लिए मूल्य समर्थन, भावान्तर योजना और निजी स्तर पर खरीद योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 15053 करोड़ की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

बफर स्टॉक बनाने का निर्णय : सरकार ने दलहन के आयात में कमी को और इसके लिए बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज वर्ष 2009-10 के दौरान दलहन का उत्पादन 1.47 करोड़ टन हुआ था। जबकि 2017-18 में इसकी पैदावार बढ़कर दो करोड़ 52 लाख टन हो गई थी।

खेती के लिए राम बाण हरी खाद

देश की बढ़ती हुई आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि भूमि से लगातार उच्च तकनीकी द्वारा अधिक मात्रा में कृषि उत्पादन लिया जाए ऐसी स्थिति में भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखना नितांत आवश्यक है। क्योंकि बिना उर्वरा शक्ति के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं है ऐसी दशा में हरी खाद का प्रयोग अपरिहार्य है। देश में विगत कई वर्षों से लगातार रासायनिक खाद का प्रयोग करने से हम उत्पादन प्राप्त करने में सफल रहे हैं। परंतु भूमि की उर्वरा शक्ति में काफी ह्रास हुआ है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा कार्बनिक अंश तथा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। हरी खाद के रूप में फलीदार फसलों के उगाने से जड़ों में उगने वाली ग्रन्थियों में राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन का योगिकीकरण करते हैं। हरी खाद में पाया जाने वाला कार्बनिक अंश जब मृदा में मिलता है तो जीव रासायनिक क्रिया में तीव्रता आ जाती है जो सूक्ष्म जीव तथा एजोटोबेक्टर की क्रियाशीलता भी बढ़ा देता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हरी खाद के वे पौधे जिनकी जड़े गहराई तक जाती हैं, मृदा के विभिन्न स्तरों से पोषक तत्व व जल दोनों ही लाने में सक्षम हैं।

हरी खाद के रूप में उगाई जाने वाली फसलें:

सनई- देश के अधिकतर भागों में हरी खाद के लिए सनई की फसल उगाई जाती है। सनई की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और 5-7 सप्ताह में 4-5 फुट ऊँची हो जाती है। पौधे जल्दी पककर कड़े नहीं होते जिससे मिट्टी में पलटने के बाद शीघ्र सड़कर खाद बन जाते हैं। सनई की 50-60 दिन की फसल से एक हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 20-25 टन हरी खाद मिल जाती है।

ढैंचा- हरी खाद की प्रमुख फसलों में सनई के बाद ढ़ैंचा का प्रमुख स्थान है। यह फसल कम या अधिक वर्षा वाले स्थानों में जहां कि पानी भरा रहता हो और लवणीय या ऊसर भूमि वाले क्षेत्रों में भली भांति उग सकती है। इसमें सूखा व जल प्लावन सहन करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसकी जल प्रणाली काफी सशक्त होती है। जड़ें काफी गहराई तक पहुंच कर नमी व पोशक तत्व ग्रहण करती हैं। धान में हरी खाद देने के लिए यह विशेष उपयुक्त पाया गया है। ऊसर में उग जाने के कारण इसका प्रयोग ऊसर सुधार में किया जाता है।

मूँग, उर्द, मोठ- इन सभी फसलों को खरीफ मौसम में उगाकर हरी अवस्था में ही खेत में पलटकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। गेहूँ के लिए मूँग टाइप-1 की हरी खाद अन्य फसलों की हरी खाद से अधिक लाभकारी होती है। यह कम अवधि वाली फसल है जो 60-70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मानसून आरम्भ होते ही इसे बो दिया जाय तो सितम्बर के प्रारम्भ होते ही इसकी फलियां तोड़ने के पश्चात हरी अवस्था में पलटकर गेहूँ के लिए हरी खाद बनायी जा सकती है।

सारिणी-1: हरी खाद की फसलों का रासायनिक संघटन तथा कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात

फसल	नाइट्रोजन			जैविक कार्बन			कार्बन नाइट्रोजन अनुपात		
	30 दिन	45 दिन	60 दिन	30 दिन	45 दिन	60 दिन	30 दिन	45 दिन	60 दिन
सनई	2.54	2.08	1.72	41.0	44.27	45.27	16.3	22.3	26.6
ढैंचा	2.60	2.34	1.61	44.28	47.52	47.15	14.4	20.6	25.0
बरसीम	3.65	3.32	2.67	41.58	43.82	44.45	12.0	13.1	14.6
मूँग	3.47	2.87	2.68	40.33	42.66	44.18	12.2	15.1	16.7
मसूर	3.32	3.03	2.65	42.51	43.12	44.36	12.7	13.1	15.3

सारिणी-2: मिट्टी में दबाते समय हरी खाद वाली फसल की आयु एवं विघटन की अवधि का धान की उपज पर प्रभाव

ढैंचा की आयु (दिनों में)	उपचार विघटन की अवधि (दिनों में)	हरी खाद द्वारा नाइट्रोजन की कुल प्रति (क्रि./हे.)	धान की उपज (कु./हे.)
45	0	78	56.3
45	10	74	56.9
45	20	64	43.9
55	0	12.3	56.6
55	10	16	50.7
55	20	124	51.6
65	0	162	61.8
65	10	120	57.4
65	20	140	49.3

स्रोत-उर्वरक और खाद, काषीनाथ तिवारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद, नई दिल्ली

हरी खाद फसल की विषेशताएं-

-ऐसी दलहनी फसल हो जो कम उपजाऊ भूमि में भी वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का अधिकाधिक योगिकीकरण करने की क्षमता रखती हो अर्थात उसकी जड़ो में काफी संख्या में ग्रन्थियां हों।

-फसल शीघ्र बढ़ने वाली हो ताकि जल्दी ही पलटी जा सके।

-फसल गहरी जड़ वाली हो जो भूमि की निचली सतह से पोशक तत्वों को ले सकें।

-हरी खाद वाली फसल समस्याग्रस्त भूमि और जलवायु में भी हरे पदार्थ की अच्छी उपज दे सके।

-फसल की प्रारम्भिक वृद्धि के दौरान प्रचुर पत्तियां तथा कोमल टहनियां निकले ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकाधिक कार्बनिक पदार्थ मिल सके।

बोआई का समय: हरी खाद की फसल की बोआई मानसून आरम्भ होने से पूर्व ही कर देनी चाहिए क्योंकि वर्षा से पूर्व यदि फसल पलटने के लिए तैयार हो जाती है तो धान की रोपाई में विलम्ब नही होता है तथा फसल को सड़ने में प्रयाप्त समय मिल जाता है। इसलिए इसकी बुवाई का उपयुक्त समय मई का प्रथम सप्ताह है। परंतु ऐसे क्षेत्र जहां धान की फसल खरीफ में नही लेना है हरी खाद के बाद रबी की फसल लेनी है। वहां पर वर्षा प्रारम्भ होने पर अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में बोआई करना चाहिए।

कृषि क्रियाएं: हरी खाद वाली फसलों की बोआई के लिए खेत की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीजों में अंकुरण के लिए उचित मात्रा में नमी का होना नितांत आवश्यक है।

उर्वरकों के प्रयोग से हरी खाद की क्षमता में वृद्धि: विशिष्ट मिट्टी में हरी खाद के लिए उगायी गयी दलहनी फसल की वृद्धि कितनी होती है और वह नाईट्रोजन का योगिकीकरण करने में कितनी सक्षम है यह इस बात पर निर्भर है कि इस मिट्टी में फास्फोरस, कैल्सियम, मालिब्डिनम जैसे तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि इनकी प्रयाप्त मात्रा मिट्टी में नहीं है तो फसल की पर्याप्त वृद्धि के लिए इन तत्वों को ऊपर से डाला जाना आवश्यक होता है और फसल द्वारा मिट्टी से अवशोषित यह तत्व विघटन के बाद फिर अगली फसल को सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं।

हरी खाद की फसल की खेत में पलटाई: हरी खाद की विभिन्न फसलों पर भारत में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि साधारणतया फूल बनने के समय इनकी पलटाई की जानी चाहिए। अधिकतर हरी खाद की फसलों में बोआई से लेकर 45-60 दिन के अंदर फूल आने लगते हैं। करनाल में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि हरी खाद वाली फसल ढ़ैंचा को 45, 55 और 65 दिन आयु की अलग-अलग अवस्थाओं में पलटाई कर दबाने के बाद धान की उपज पर कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया है परंतु विघटन की अवधि बढ़ाने से धान की उपज में कमी हुई। हरी खाद वाली फसलों की पलटाई उस समय करनी चाहिए जब उसमें हरे मुलायम पदार्थ की मात्रा अधिक हो। सामान्य हल्की भूमि में हरी खाद वाली फसल को अधिक गहराई तक दबाना चाहिए। जबकि भारी मिट्टी में कम गहराई तक दबाना चाहिए। सूखे खेत में हरी खाद की फसल को पाटा चलाकर गिराने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके उसे मिट्टी में दबा देते हैं। खेत की जुताई हमेश उसी दिशा में करनी चाहिए जिस दिशा में फसल गिराई गई है।

सारिणी-3: परती और ढ़ैंचा की हरी खाद देने का धान की उपज पर प्रभाव (उपज कुन्तल/हेक्टेयर)

उपचार	नाइट्रोजन प्रयोग की दर (किग्रा./हे.)				
	0	40	89	120	औसत
परती 1974	26.4	38.6	55.6	60.1	45.1
1975	34.1	42.7	58.7	63.5	46.7
औसत	30.2	40.6	57.1	61.8	47.4
हरी खाद 1974	56.4	63.1	73.0	77.1	67.5
1975	53.5	62.5	66.5	75.3	65.2
औसत	54.6	62.8	71.2	76.2	66.3

सारिणी-4: हरी खाद के लिए प्रयुक्त विभिन्न फसलों का गन्ने की उपज पर प्रभाव

उपचार	उपज (कुन्तल/हेक्टेयर)	नियंत्रित के ऊपर प्रतिशत वृद्धि
नियंत्रित	501	100
सनई	607	121
ढैंचा	574	115
ग्वार	565	113
लोबिया	622	124

हरी खाद प्रयोग के बाद मुख्य फसल की बोआई: हरी खाद वाली फसल को कब खेत में पलटा जाय इस बात पर निर्भर करता है कि हरी खाद वाली फसल की प्रकृति क्या है साधारणतया हरी खाद के लिए उन्ही फसलों का चुनाव करना चाहिए जो कम समय में अधिक बढ़वार दें। धान फसल की रोपाई से 15 दिन पूर्व हरी खाद फसल की पलटाई करने से उनके विघटन के लिए काफी समय मिल जाता है। यदि खरीफमें हरी फसल के रूप में सनई, ढ़ैचा या उर्द उगाया गया है उस स्थिति रबी फसल की सभी फसलों की समय पर बुवाई की जा सकती है।

फसलों पर हरी खाद का प्रभाव: सेन्ट्रल सेलिनिटी रिसर्च इन्स्टीच्यूट, करनाल में हुए प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि क्षारीय भूमि में यदि ढ़ैंचा की हरी खाद का प्रयोग करने के बाद धान की रोपाई की जाती है तो अत्यन्त लाभकारी प्रभाव धान की फसल पर देखा गया है। हरी खाद की प्रयोग की दषा में धान की फसल में नाइट्रोजन की आधी मात्रा कम की जा सकती है। इसलिए धान, गेहूँ या धान वाले अन्य द्विफसली चक्रों में हरी खाद का प्रयोग करके अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।

सारिणी-5: मक्का, गेहूँ फसल चक्र में हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसलों का उपज पर प्रभाव

नाइट्रोजन (किग्रा./हे.)	मक्का की उपज (कुन्तल/हेक्टेयर)				गेहूँ की उपज (कुन्तल/हेक्टेयर)			
	परती	ग्वार	ढैंचा	लोबिया	परती	ग्वार	ढैंचा	लोबिया
50	21.6	24.4	22.2	26.3	45.3	46.8	48.1	48.5
75	22.7	26.6	25.1	31.7	46.2	48.5	42.7	50.1
100	24.3	31.3	29.0	33.6	45.6	46.1	46.6	51.5
125	25.3	23.3	31.6	36.2	45.3	50.3	51.3	51.7

सारिणी-6: हरी खाद वाली दलहनी फसलों द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा

हरी खाद की फसल	नाइट्रोजन की मात्रा (क्रि./हे.)	हरी खाद की फसल	नाइट्रोजन की मात्रा (क्रि./हे.)
सनई	110	ग्वार	60
सेंजी	80	लोबिया	55
ढ़ैंचा	55	मूंग	40

फायदे का सौदा मचान खेती

निजी कंपनी में काम करने वाले आदित्य खेती करने और फिर उगाए उत्पाद को बाज़ार में बेचने से शर्माते थे। लेकिन नई मचान तकनीक से हुए मुनाफे से जब उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरी तो वे किसान बन गए। मचान विधि खेती का एक ऐसा नया तरीका है जिसमें कम जगह, कम लागत और कम पानी के इस्तेमाल से सब्ज़ी का बढ़िया उत्पादन किया जा सकता है। किसानों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए कम क्षेत्र में कैसे अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए इसके लिए 'स्पेस' संस्था ने 'पानी' गैर सरकारी संगठन के निर्देशन में सब्ज़ी की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय किया और मचान विधि से सब्ज़ी की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना शुरू किया। सभी ने हाथ खड़े कर दिए पर एक किसान गोष्ठी में शामिल संगीता ने इस फायदे के नुस्खे को अपनाने की ठानी। संगीता के पति आदित्य प्रसाद ने पहले तो काफी ना-नुकुर की लेकिन बाद में मचान विधि से सब्जी की खेती शुरू की। अपनी 500 वर्ग मीटर कृषि भूमि मे बांस का मचान बनाया और नीचे प्याज और ऊपर लौकी की बेल को चढ़ाया। जब लौकी का उत्पादन शुरू हो गया तो उसे बेचने की बात आई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा वो बाजार तक लौकी के बोरे को छोड़ेंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। संगीता आगे बताती हैं, तोड़ी गई लौकी को बोरे में भरकर, बेटे को मोटर साइकिल पर बैठा कर बाजार ले गए। बाजार में ताजी लौकी देखकर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गयी। बेटा अकेले ग्राहकों को नहीं संभाल पा रहा था। लौकी बेचने में झिझक रहे दूर खड़े आदित्य प्रसाद बेटे की मदद के लिए उसके करीब आए और ग्राहकों से पैसा लेना शुरू कर दिया। घर पहुंचने पर सबने जब पहले दिन की कमाई की गिनती की तो पता चला 300 रुपए की कमाई हुई। खेती के मुनाफे ने आदित्य की शर्म को खत्म कर दिया, वो अपना समय खेती में देने लगे, सब्जियां उगाकर बेटे के साथ बाज़ार में जाकर बेचने भी लगे। कुछ दिन में प्याज भी तैयार हो गया। इसकी खुदाई के बाद दोनों पति-पत्नी ने खेत में सूरन और करेला लगाया। धीरे-धीरे पति-पत्नी की मेहनत रंग लाई। एक के बाद एक करेले फिर सूरन में अच्छा उत्पादन हुआ। इन सब्जियों को बेचकर परिवार ने अच्छा मुनाफा कमाया, जिससे धीरे-धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी।

मचान विधि से सब्जी उगाकर पहले वर्ष में ही केवल 500 वर्ग मीटर भूमि में उन्होंने 35 से 40 हज़ार रुपए की शुद्ध आय प्राप्त की। इस वर्ष उन्होंने बिना परियोजना के मदद के उतनी ही भूमि में कई तरह की कम अवधि की सब्जियां जैसे पालक, मूली, चुकन्दर, धनिया, लौकी, प्याज उगाकर बेचा।

मचान विधि: मचान विधि में 500 वर्ग मीटर में 2 गुणे 2 मीटर पर बांस के खंभे खड़े करते हैं। फिर खंभे के ऊपर तार से जाल बनाते हैं। इसमें जनवरी माह में प्याज की रोपाई की जाती है।

इसके बाद जनवरी के अन्त में बांस के खंभे के किनारे लौकी का पौधा लगाते हैं उसके बाद प्याज की खुदाई के बाद सूरन लगाते हैं तथा लौकी के स्थान पर करेला लगाते हैं। इस तरह सालभर के फसल चक्र में केवल दो फसलों को जल देते हैं और चार फसल का उत्पादन लेते हैं। जिससे दो फसल का जल बचता है। चूंकि मचान के ऊपर बनाए गए जाल पर लौकी और करेला का फैलाव होने के कारण छांव रहती है, जिससे जमीन में नमी ज्यादा दिन तक बनी रहती है।

मचान का फसल चक्र

यह प्रक्रिया 15 नवम्बर के करीब शुरू की जाती है। नवम्बर के मध्य में प्याज की नर्सरी डालते हैं फिर जनवरी के मध्य में प्याज की रोपाई करते हैं। दिसम्बर के मध्य में लौकी की नर्सरी डालते हैं इसके बाद फरवरी में पहले लगे मचान के खंम्भे के पास रोपाई करते हैं। प्याज की खुदाई अप्रैल में हो जाती है और लौकी जून-जुलाई तक खत्म हो जाती है। मई में सूरन की बुवाई करते हैं। जुलाई में पहले तैयार करेले के पौधे को लौकी के स्थान पर लगाते हैं। इसके बाद सूरन की खुदाई नवम्बर में दीपावली के पहले की जाती है तथा करेले की फसल नवम्बर तक खत्म होती है। इस प्रकार से पूरे वर्ष फसल चक्र चलता रहता है।

कीटनाशकों के छिड़काव के समय इन बातों का रखें ध्यान

लखनऊ (विसं)। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी न बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान कुछ सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर के कृषि वैज्ञानिक डॉ. दया श्रीवास्तव बताते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल को बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, लेकिन जरा सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है।

जो दवाइयां और कीटनाशक हैं उनकी कई कटेग्री है, हरा, नीला, पीला और लाल, जो लाल कटेग्री की इवाइयां हैं जो सबसे खतरनाक हैं। फसलों की सुरक्षा में प्रयोग होने वाले नाशियों में यदि लापरवाही हो जाए तो किसानो की जान तक जा सकती है पीड़कनाशी जहां कीटो एवं बीमारियों को खत्म करने में सक्षम होते हैं, लेकिन यदि प्रयोग करने से पहले प्रयोग की संपूर्ण जानकारी न ली जाए तो वह इंसानों के लिए भी बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। प्रयोग के समय एप्रेन जरूर पहने, इससे शरीर पर जो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, उससे बच सकते हैं, हाथों पर दस्ताने जरूर पहने और जब दवाओं को मिक्स करें तो दस्ताने जरूर पहने। मास्क आंख की सुरक्षा के लिए होता है क्योंकि अगर आंख में दवाई जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नोजल जरूर पहने सिर पर कैप जरूर लगाएं और पैरों में जूते जरूर पहने ,उन्होंने आगे कहा। दोपहर के समय न करें छिड़काव इसके साथ ही दोपहर में दवाओं का छिड़काव न करें और जब हवा चल रही तो भी दवाइयों का छिड़काव न करें। सुबह शाम को ही करें क्योंकि दोपहर में मधुमक्खियों का मूवमेंट होता है, ये बाते ध्यान में रखकर आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। कीटनाशक छिड़काव का गलत तरीका इन बातों का भी रखें ध्यान कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में न जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरन्त साफ पानी से कई बार धोना चाहिए.कीटनाशक प्रयोग के बाद सावधानियां बचे हुए कीटनाशक को सुरक्षित भण्डारित कर देना चाहिए। इसके रसायनों को बच्चों, बूढ़ों और पशुओं की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशकों के खाली डिब्बों को किसी अन्य काम में नहीं लेना चाहिए। उन्हें तोड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। कीटनाशक छिड़कने के बाद छिड़के गए खेत में किसी मनुष्य या जानवरों को नहीं जाने देना चाहिए।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।

विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

DIRECT IMPORT FOR YOUR FERTILIZER/CHEMICALS

- ZINK EDTA/COPPER
- EDTA/FF/EDTA
- 100% WATER SOLUBLE
- FERTILIZER (NPK)
- HUMIC ACID
- SEAWEED EXTRACT
- AMINO ACID
- POTASSIUM HUMATE
- FULVIC ACID
- EDDHA
- NATCA
- BRASSINOLIDE
- DAP
- SODA ASH
- SODIUM SULPHIDE
- AMONIUM CLORIDE
- SODIUM BICARBONATE
- CALCIUM CARBIDE
- PHOSPHORIC ACID
- TRI SODIUM PHOSPHATE
- CITRIC ACID
- STPP

ALL KIND OF INORGANIC
ORGANIC CHEMICALS
CONTACT NO. 022-6710-3722

महाराष्ट्र में चीनी उद्योग पर गहराता सूखे का संकट

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र में गहराते सूखे संकट की वजह से राज्य में चीनी उद्योग के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार और चीनी उद्योग मिलकर काम करेंगे। एक तरफ राज्य सरकार चीनी के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी कर कारखाना मालिकों की मदद करने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन लागत कम करने की सलाह भी दे रही है। सूखे की समस्या से निपटने के लिए टपक सिंचाई और दूसरी फसलों के उत्पादन पर भी जोर देने की तकनीक अपनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। चीनी उद्योग में बेहतरीन काम करने वाले कारखानों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नई तकनीक राज्य के किसानों तक रही है। उन्होंने कहा कि इसके कारण ही महाराष्ट्र का चीनी उद्योग देश में सबसे आगे है। राज्य पर इस वर्ष सूखे का खतरा मंडरा रहा है। गन्ने की फसल पर इसका असर दिख सकता है। चीनी उद्योग को जीवित रखने के लिए उत्पादों के खर्च में कटौती लाकर उत्पाद और गुणात्मकता को बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार टपक सिंचाई को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

केंद्र सरकार की एथनॉल नीति का भी उद्योग पर अच्छा असर दिख रहा है। चीनी का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ उप-उत्पादों के निर्माण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि इस वर्ष देश में 160 लाख टन चीनी अधिक मात्रा में है। अतिरिक्त उत्पादन के कारण चीनी की कीमतों में कमी आई है। यही वजह है कि मिलों को एफआरपी देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

तिलहन के रिकार्ड उत्पादन के लिए यूपी को मिलेगा कृषि कर्मण पुरस्कार

लखनऊ। यूपी इस बार वर्ष 2016-17 में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से देश की अन्न पैदावार बढ़ाने के क्षेत्र में हर वर्ष दिया जाने वाला कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य को 2 करोड़ रुपए की राशि के साथ-साथ एक स्मृति चिन्ह और ताम्रपत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार गेहूं, चावल, दालें और मोटे अनाज की पैदावार में अग्रणी रहने वाले राज्यों को भी दिया जाता है। 2015-16 के लिए असम राज्य को तिलहन के रिकार्ड उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। तिलहन के रिकार्ड उत्पादन के लिए कृषि मंत्री कृषि कर्मण प्रगतिशील किसान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

महाराष्ट्र में लोग हर सोमवार देख सकेंगे सरकारी फाइलें

मुंबई (कासं)। सूचना का अधिकार कानून को लागू करने में पारदर्शिता लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत नागरिकों को हर सोमवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच दो घंटे के लिए जिला स्तर के कार्यालयों और स्थानीय निकायों में रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत दी गई है।

पुणे नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर महेश झगडे ने विभिन्न विभागों के काम में पारदर्शिता लाने के लिए और सूचना का अधिकार कानून के तहत दाखिल होने वाले आवेदन की संख्या कम करने के लिए 2009 में पुणे में यह प्रयोग किया था। हर सोमवार को नगर निगम के सभी कार्यालयों में दोपहर का दो घंटे का समय सूचना के अधिकार के लिए आरक्षित रखा था। इस समय आवेदन न करते हुए मुफ्त में फाइल्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने की अनुमति दी गई थी। आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी साथ ले जाने की इजाजत भी दी गई थी। सूचना के अधिकार के संदर्भ में ग्रंथालय भी तैयार किया गया था।

पुणे नगर निगम में यह पैटर्न सफल होने के बाद राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, जिला परिषद, नगर निगम कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन से आदेश निकालकर आम नागरिकों के लिए फाइलें और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी है। मंत्रालय को इस निर्णय में छूट दी गई है। अब हर सोमवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच लोग दस्तावेज देख सकेंगे। यदि किसी सोमवार को कोई सरकारी छुट्टी हो तो उसके अगले दिन निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।

नासिक में किसान ने की आत्महत्या, इस साल अब तक 108 ने दी जान

नासिक (विसं)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक किसान ने चार लाख रुपये के कर्ज के कारण शनिवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि इस साल अब तक क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 108 पहुंच गई है। तहसीलदार ज्योति देवरे के अनुसार, नीलेश धर्मराज हयालिज ने जिले के मालेगांव इलाके में मौजे-वजीरखेडे गांव में शनिवार सुबह करीब नौ बजे फांसी लगा ली। उस पर चार लाख रुपये का कर्ज था। वडनेर-खाकुर्दी पुलिस ने किसान की मौत के संबंध में एक मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि 12 दिसंबर को नंदगांव तहसील में 40 वर्षीय किसान प्रभाकर वाल्मीक हगावने ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उसके पास से बरामद एक नोट में लिखा था कि उसने एक बैंक और क्रेडिट सोसायटी से कर्ज लिया था।

उदित ओवरसीज प्रा.लि.

राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक अब मान्यता प्राप्त दरों व अनुदान पर उपलब्ध

फर्टिलाइजर

1. जिंक सल्फेट 21 प्रश.
2. जिंक सल्फेट 33 प्रश.
3. फेरस सल्फेट 19 प्रश.
4. कॉपर सल्फेट 24 प्रश.
5. मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 प्रश.

बायो फर्टिलाइजर

1. राइजोबियम पाउडर
2. एजेटोबेक्टर पाउडर
3. पी.एस.बी. पाउडर

FERTILIZER

- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- FERROUS EDTA 12%
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

BIO FERTILIZERS

- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

WELCOME INQUIRY Contact : 7975653498 (Rajesh Sharma)

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425